

4. महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लेवें। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. चयनित अभ्यर्थी यदि निर्धारित अवधि (प्रवेश के लिए) में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता तथा चयन निरस्त कराने की सूचना भी नहीं देता है तो उसका चयन स्वयं निरस्त हो जायेगा और उसे आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
7. MKCL के साइट पर महाविद्यालय अपना कॉलेज आई डी. व पासवर्ड इंटर कर log पद करें तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों की जानकारी निरतंर अपडेट करते रहेंगे। संबंधित महाविद्यालय में सीटों की रिक्तियों के आधार पर दूसरे चरण का सीट्स आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

5. द्वितीय चरण की काउंसलिंग –

प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आवंटन के लिए द्वितीय चरण में वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जाएगी, जो प्रथम चरण में थी। इसके प्रकार निम्नलिखित है –

5.1 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आवंटन के पश्चात् आवंटित महाविद्यालय/MKCL केन्द्र में जाकर प्रवेश निरस्त करा चुके हैं –

1. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आवंटित महाविद्यालय बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है। परन्तु यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय/ MKCL केन्द्र में जाकर अपना प्रवेश निरस्त कराना होगा। ऐसा करने पर द्वितीय चरण के आवंटन हेतु प्रथम चरण में आवंटित महाविद्यालय शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विकल्प फार्म एवं निर्धारित राशि का बैंक चालान बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह अवसर अभ्यर्थी को एक ही बार दिया जाएगा।

2. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपने पूर्व आवंटित महाविद्यालय से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें एक बार विकल्प परिवर्तन का मौका दिया जाएगा। यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को उसी MKCL केन्द्र में पुनः जाकर विकल्प फार्म भरना एवं निर्धारित राशि का बैंक चालान बनाना अनिवार्य है।

5.2 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परन्तु आवंटन नहीं हुआ था –

ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें निर्धारित राशि का बैंक चालान जमा करना होगा। यदि विकल्प नहीं बदलना चाहते हैं तो उन्हें चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं वी मेरिट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे।

5.3 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे –

ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को प्रथम चरण के निर्देशों का पालन करना होगा।

6. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
7. बी.एड. पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में सीटों का आरक्षण शासन के वर्तमान में लागू आरक्षण नियम के तहत होगा।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

प्रमाण पत्रों का प्रारूप
प्रारूप - 1
स्थानीय निवास प्रमाण पत्र

क्रमांक	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री	दिनांक	आत्मज/
आत्मजा/पत्नी	निवासी	तहसील	व जिला

छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह -

ii) निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

(1) वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है।

(2) (क) वह, अथवा

(ख) उनके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उनके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

(3) उसके पालकों में से कोई भी -

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है।

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है।

(4) (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग

अथवा व्यवसाय रखते हैं। परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से

किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है।

(5) उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में से किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है।

(6) उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो अर्थात् -

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा।

iii) उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे -

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नि/पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नि/पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नि/पति अथवा संतान।

iv) उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

प्रारूप -2

अभ्यर्थी के माता/पिता/वैघ अभिभावक का शपथ पत्र
(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)

नाम
पिता का नाम
जाति/जनजाति/अनुका क्रमांक
धर्म
व्यवसाय
पता

1. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि –

छत्तीसगढ़ के लिए घोषित
सदस्य हूँ।

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी

हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक
में ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की

के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने
को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पणी – अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट दें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

परिशिष्ठ -3

प्रारूप -3 (अ)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक प्रकरण क्रमांक
प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री
पिता/पति का नाम निवास ग्राम/नगर
...पटवारी हल्का नं. वि.खं तहसील
..... जिला संभाग जाति/जनजाति का/की
सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के
संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह
..... जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघोधन अधिनियम 1967 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है अतः श्री/सुश्री
..... पिता/पति का नाम
..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये के
दिनांक है।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम सील

टिप्पणी :-

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से
संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति ।
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मात्र होंगे। (अ)
कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.एम./ अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय
मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासन/
अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत अदिवासी विकास परियोजना।
यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के
पश्चात ही जारी किया जाये, न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये षपथ पत्र के आधार पर
और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप - 3 (ब)
 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
 अस्थायी प्रमाण पत्र
 कार्यालय, तहसीलदार (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़
 पुस्तक क्रमांक प्रकरण क्रमांक
 प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री
 पिता/पति का नाम निवास ग्राम/नगर पटवारी
 हल्का नं. तहसील जिला संभाग
 जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के
 अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट
 किया गया है और यह जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति
 एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1967 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक
 पर अंकित है अतः श्री/सुश्री पिता/पति का नाम
 अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री के
 परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये है।
 दिनांक

हस्ताक्षर
 प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
 पदनाम सील

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिए वैध रहेगा।

नि. जार
 नि. जार
 प्रमाणीकरण

प्रारूप – 4 (अ)

छत्तीसगढ़ का अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) प्रवर्ग
के अन्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र

अस्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय, तहसीलदार (प्रमाणीकरण)

जिला छत्तीसगढ़

अनुभाग

पुस्तक क्रमांक

प्रमाण पत्र क्रमांक

प्रकरण क्रमांक

जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री आत्मज

श्री निवासी ग्राम जिला संभाग

छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो जाति के हैं, जिसे
पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना
क्रमांक 8—5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला

संभाग में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक
को प्रवजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्रीमी लेयर (संपन्न वर्ग)
व्यक्तियों/वर्णों की प्रवर्ग में नहीं आते हैं जिनकी उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रेषिक्षण के परिपत्र क्रमांक
360/2122/93 स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8—9—93 द्वारा जारी सूची में कालम – 3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7—26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न
परिषिष्ट – इसी की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री के
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।
दिनांक

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिए वैध रहेगा।

प्रारूप - 4 (ब)

छत्तीसगढ़ का अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) प्रवर्ग
के अन्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र
स्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक
प्रमाण पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक

जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री आत्मज
श्री निवासी ग्राम जिला संभाग
..... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो जाति के हैं, जिसे
पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना
क्रमांक 8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।
श्री और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला
..... संभाग में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक
..... को प्रवजन कर चुका है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्रीमी लेयर (संपन्न वर्ग)
व्यक्तियों/वर्णों की प्रवर्ग में नहीं आते हैं जिनकी उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक
360/2122/93 स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम - 3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न
परिशिष्ट - ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री के परिवार की
कुल वार्षिक आय रूपये है।
दिनांक
.....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

प्रारूप -5 (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित
प्रतिरक्षा कर्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक
दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती (माता-पिता का नाम)

जो छत्तीसगढ़, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)

वर्ष 2006 के आधार पर पाठ्यक्रम का नाम

पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यार्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम)

के माता-पिता हैं।

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे
पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक था।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस
क्रमांक के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए
हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

कमांडिंग ऑफिसर

स्थान
दिनांक

.....

.....

.....

.....

.....

प्रारूप -५ (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित
प्रतिरक्षा कर्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक
दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी के माता-पिता का नाम) परीक्षा का नाम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) के माता-पिता हैं, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मिक है और वह स्थायी रूप से (स्थान) तहसील जिला छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है।

स्थान
दिनांक

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
जिला

प्रारूप -५ (स)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
प्रतिरक्षा कार्यरत कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक
दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी के माता-पिता का नाम) परीक्षा का नाम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) के माता-पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) हैं, वह थल सेना/वायु/नौसेना में ओहदे पर सर्विस क्रमांक हैं के अधीन कार्यरत हैं और वह प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है। वे इस इकाई में दिनांक से सेवारत हैं।

स्थान
दिनांक

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील
कमाडिंग ऑफिसर

प्रारूप - 6

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम)
 श्री/सुश्री (अभ्यर्थी के माता-पिता का नाम) के/वैध संतान है। जो
 श्री/सुश्री (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/वैध संतान है। श्री/सुश्री
 (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का छत्तीसगढ़ के जिला
 के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक
 पर पंजीकृत हैं।

स्थान

दिनांक

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा

प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से अन्यून

स्तर का राजस्व अधिकारी

प्रारूप - 7 (अ)

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमांक/अर्धशासकीय निकायों व
छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासकों के कर्मिकों संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम)
जो परीक्षा में प्रवेश का/की अभ्यर्थी हैं श्री/सुश्री

(अभ्यर्थी के माता-पिता का नाम) का/की संतान है।

(क) जो छत्तीसगढ़ शासन के विभाग में
पद पर तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन कार्मिक हैं।
(ख) जो छत्तीसगढ़ शासन के विभाग में
पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे और तिथि से इस
विभाग में सेवानिवृत्त हुए।

स्थान

दिनांक

कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर नाम एवं पदमुद्रा

प्रारूप - 7 (ब)

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ कर्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक
दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम)
परीक्षा का नाम पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी हैं, श्री/सुश्री (अभ्यर्थी के माता-पिता का नाम) का/की संतान है, जो

तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय में
स्थान जिला

पद पर पदस्थ हैं, जो - विभाग
भारत सरकार के अथवा

भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम
भारत सरकार के अथवा अर्धशासकीय निकाय का/की
कर्मिक है।

स्थान
दिनांक

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के
हस्ताक्षर नाम एवं पदमुद्रा

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....